रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 7, 1971/श्रावण 16, 1893
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 7, 1971/SRAVANA 16, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये विधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 22nd July 1971

S.R.O. 278.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Statistical Assistant in the Family Planning Organisation of the Ministry of Defence, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Ministry of Defence, Family Planning Organisation (Statistical Assistant) Recruitment Rules 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post as specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or,

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

SCHE

Recruitment Rules for posts of Statistical Assistants in Family Planning Organi-

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment.	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7
Statistical Assistant	9	C.D.S. Class III Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—425.	Not applicable	25 years.	*Essential* : Post graduate Degree of a Recognised University in Statistics or Mathematics with Statistics. *Desirable* : Three years experience in compiling Statistics.

DULE

sation under the Ministry of Defence

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promottee	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/transfer, grades from which promotion to be made.	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By *transfer* failing which by direct recruitment.	*Transfer*: Persons possessing the qulifications mentioned under column. 7 and working in similar equivalent or higher grade in Armed Forces HQ, Inter Service Organisation of the Ministry of Defence or the Lower Formations of Defence Services. *Note*:—Age limit prescribed for direct recruitment will not be applicable to transferees.	Not applicable.	Not applicable.

[N.o F. 20370/DG AFMS/DG 3D.]

V. A. VALIAPARAMPIL, Under Secy.

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1971

का० नि० आ० 278.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय के परिवार नियोजन संगठन में सांख्यिकीय सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इन नियमों का नाम रक्षा मंत्रालय, परिवार नियोजन संगठन (सांख्यिकीय सहायक) भर्ती नियम, 1971 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में शिथिल की जा सकेगी ।

5. **निरर्हताएं**: वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

अनुसूची

रक्षा मंत्रालय के परिवार नियोजन संगठन में सांख्यिकीय सहायक के पदों के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु
1	2	3	4	5	6
सांख्यिकीय सहायक	9	सि०र०से० वर्ग 3, अराजपत्रित अननुसचिवीय	210-10-290-15-320-द० रो० 15-425 रु०	लागू नही होता	25 वर्ष

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की कालावधि, यदि हो
7	8	9
आवश्यक : सांख्यिकी में या सांख्यिकी के साथ गणित मे मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर उपाधि । **वांछनीय :** सांख्यिकी संकलन का तीन वर्ष का अनुभव ।	लागू नही होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति की जाएगी	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
10	11	12	13
स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**स्थानान्तरण** : वे व्यक्ति जिस के पास स्तम्भ 7 में दी गई अर्हताएं हों और जो सशस्त्र बल मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय के अन्तर्सेवा संगठन या रक्षा सेवाओं के निम्नतर प्रवर्गों में वैसी ही, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में काम करते हों । **टिप्पण** : सीधी भर्ती के लिए विहित आयु-सीमा स्थानान्तरित किए गए व्यक्तियों को लागू नहीं होगी ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० 20370/डी०जी/ए०एफ०एम०जी०/डी०जी० 30]

वी० ए० वलियापरम्पिल, अवर सचिव ।

New Delhi, the 22nd July 1971

S.R.O. 279.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, St. Thomas Mount by **reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Major** C. D. Ramamurthy.

[File No. 19/5/C/L&C/65/2039-C/1/D(Q&C).]

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1971

का० नि० आ० 279:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड सेन्ट थोमस मांउट की सदस्यता में मेजर सी० डी० रामामूर्ति के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है ।

[फाइल सं० 19/5/सी०/एल०/एण्ड सी०/65/2039—सी0/1/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 280.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Major M. P. Menon has been nominated as a member of the Cantonment Board, St. Thomas Mount vice Major C. D. Ramamurthy who has resigned.

[File No. 19/5/C/L&C/65/2039-C/2/D(Q&C).]

का० नि० आ० 280:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि मेजर एम० पी० मेनन को, मेजर सी० डी० रामामूर्ति के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड सेन्ट थोमस माउंट के एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है ।

[फाईल सं० 19/5/सी०/एल० एन्ड सी०/65/2039-सी०/2/डी (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 281.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Ahmedabad by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Shri K. N. Parikh, Magistrate 1st Class.

[File No. 19/1/C/L&C/70/2035-C/1/D(Q&C).]

का० नि० आ० 281:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री के० एन० पारिख प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड अहमदाबाद की सदस्यता में रिक्ति हो गई है ।

[फाइल सं० 19/1/सी०/एल० एण्ड सी०/70/2035-सी०/1/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 282.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that **Shri K. I. Oza, Magistrate 1st Class has been nominated as a member of the Can-**tonment Board Ahmedabad by the District Magistrate, Ahmedabad in exercise of the powers conferred under section 13(4)(b) of that Act vice Shri K. N. Parikh, Magistrate 1st Class resigned.

[File No. 19/1/C/L&C/70/2035-C/2/D(Q&C).]

S. P. MADAN, Under Secy.

का० नि० आ० 282:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि श्री के० आई० ओजा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को, उस अधिनियम की धारा 13 (4) (ख) के अधीन प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट अहमदाबाद द्वारा, श्री के० एन० पारिख प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जिन्होंने पद-त्याग कर दिया है के स्थान पर छावनी बोर्ड, अहमदाबाद के सदस्य के रूप में नाम निर्देशित गया है ।

[फाईल सं० 19/1/सी०/एल० एण्ड सी०/70/2035-सी०/2/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

एस० पी० मदन, अवर सचिव ।

(Department of Defence Production)

New Delhi, the 23rd July 1971

S.R.O. 283.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Defence Production (Directorate General of Inspection) Recruitment Rules 1968, namely:-

1. (1) These Rules may be called the Department of Defence Production (Directorate General of Inspection) Class III Non-Gazetted (Non-Technical) posts Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Defence Production (Directorate General of Inspection) Class III Non-Gazetted (Non-Technical) posts Recruitment Rules, 1968—

(i) against serial No. 4, in column 4, for the existing entries, the following entry shall be substituted namely:—

"Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—10—300"

(ii) against serial No. 8, in column 11, for the word "Storeman", the words "Civilian Assistant Storekeeper" shall be substituted;

(iii) against serial No. 9, in column 2, for the entry "Storeman", the entry "Civilian Assistant Storekeeper" shall be substituted;

(iv) against serial No. 11, in column 10, after the existing entry, the following entry shall be inserted, namely:—

"10 per cent of the vacancies in the grade of Lower Division Clerks to be filled by direct recruitment shall be reserved for being filled by Class IV employees borne on regular establishment, subject to the following conditions, namely:-

(1) Selection shall be made through a departmental examination confined to such Class IV employees who fulfil the requirement of minimum educational qualification, namely Matriculation or equivalent qualification.

(2) The maximum age for this examination shall be 40 years (45 years for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.)

(3) At least 5 years' service in Class IV shall be essential."

[File No. A/85125/TD-49/6581/D-(Prod).]

K. K. BHATNAGAR, Under Secy.

(रक्षा उत्पादन विभाग)

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1971

का० नि० आ० 283 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा उत्पादन विभाग (निरीक्षण महानिदेशालय) वर्ग 3 अराजपत्रित (गैर तकनीकी) पद भर्ती नियम, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम रक्षा उत्पादन विभाग (निरीक्षण महानिदेशालय) वर्ग 3 अराजपत्रित (गैर तकनीकी) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा उत्पादन विभाग (निरीक्षण महानिदेशालय) वर्ग 3 अराजपत्रित (गैर तकनीकी) पद भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में —

(i) क्रम संख्या 4 के सामने, स्तम्भ 4 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी "130—5—160—8—200—द० रो०—8—256—द० रो०—8—280—10—300—रु०"

(ii) क्रम संख्या 8 के सामने, स्तम्भ 11 में 'भंडार वाला" शब्द के स्थान पर 'सिविलियन सहायक भंडारी" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 9 के सामने, स्तम्भ 2 में, "भंडार वाला" प्रविष्टि के स्थान पर "सिविलियन सहायक भंडारी" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(iv) क्रम संख्या 11 के सामने, स्तम्भ 10 में, विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"निम्न श्रेणी लिपिकों की श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का 10 प्रतिशत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, नियमित स्थापन में के वर्ग 4 के कर्मचारियों द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित होगा, अर्थात् :—

(1) चयन एक विभागीय परीक्षा द्वारा किया जाएगा जो वर्ग 4 के ऐसे कर्मचारियों के लिए सीमित होगी जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अर्थात् मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता की अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

(2) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष) होगी ?

(3) वर्ग 4 में कम से कम 5 वर्ष की सेवा आवश्यक होगी।"

[सं० फा० ए०/85125/टी०डी०—49/6581 /डी०—आई]

के० के० भटनागर, अवर सचिव।

New Delhi, the 26th July 1971

S.R.O. 284.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Lucknow by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Lt. Col. N. N. Mukerjee.

[File No. 19/33/C/L&C/65/2060-C/1/D(Q&C).]

नई दिल्ली 26 जुलाई, 1971

का० नि० आ० 284.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, लखनऊ की सदस्यता में ले० कर्नल एन० एन० मुकर्जी के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है ।

[फाइल सं० 19/33/सी०/एल० एण्ड सी०/65/2060—सी०/1/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 285.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col. S. S. P. Srivastava has been nominated as a member of the Cantonment Board, Lucknow vice Lt. Col N. N. Mukerjee who has resigned.

[File No. 19/33/C/L&C/65/2060-C/2/D(Q&C).]

का० नि० आ० 285:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि ले० कर्नल एस० एस० पी० श्रीवास्तव को, ले० कर्नल एन० एन० मुकर्जी के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड, लखनऊ के एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है।

[फाईल सं० 19/33/सी०/एल० एण्ड सी०/65/2060-सी०/2/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 286.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Lucknow by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Lt. Col. Charan Singh.

[File No. 19/33/C/L&C/65/2060-C/3/D(Q&C).]

का० नि० आ० 286.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, लखनऊ की सदस्यता में ले० कर्नल चरण सिंह के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है।

[फाइल संख्या 19/33/सी०/एल० एण्ड सी०/65/2060-सी०/3/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 287.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col. Onkar Singh has been nominated as a member of the Cantonment Board, Lucknow vice Lt. Col. Charan Singh who has resigned.

[File No. 19/33/C/L&C/65/2060-C/4/D(Q&C).]

का० नि० आ० 287—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) का अनुसरण करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि ले० कर्नल ओंकार सिंह को, ले० कर्नल चरण सिंह के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड लखनऊ के एक सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है।

[फाईल सं० 19/33/सी०/एल० एण्ड सी०/65/2060-सी०/4/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

New Delhi, the 27th July 1971

S.R.O. 288.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Barrackpore by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Sqn. Leader A. Dutt.

[File No. 19/49/C/L&C/65/2105-C/1/D(Q&C).]

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1971

का० नि० आ० 288.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड बैरकपुर की सदस्यता में स्क्वाड्रन लीडर ए० दत्त के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है।

[फाइल सं० 19/49/सी०/एल० एण्ड सी०/65/2105-सी०/1/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 289.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Sqn. Leader. K. C. Shukla has been nominated as a member of the Cantonment Board, Barrackpore *vice* Sqn. Leader A. Dutt who has resigned.

[File No. 19/49/C/L&C/65/2105-C/2/D(Q&C).]

का० नि० आ० 289.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि स्क्वाड्रन लीडर के० सी० शुक्ला को, स्क्वाड्रन लीडर ए० दत्त के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड बैरकपुर के एक सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है।

[फाईल सं० 19/49/सी०/एल० एण्ड सी०/65/2105-सी०/2/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 290.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonments Board, Mhow by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Major D. N. Kapur.

[File No. 19/41/C/L&C/66/2104-C/1/D(Q&C).]

का० नि० आ० 290.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, महू की सदस्यता में मेजर डी० एन० कपूर के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है।

[फाइल सं० 19/41/सी०/एल० एण्ड सी०/66/2104-सी०/1/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 291.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col. Kamaljit Singh has been nominated as a member of the Cantonment Board, Mhow *vice* Major D. N. Kapur who has resigned.

[File No. 19/41/C/L&C/66/2104-C/2/D(Q&C).]

S. P. MADAN, Under Secy.

का० नि० आ० 291—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि ले० कर्नल कमलजीत सिंह को, मेजर डी० एन० कपूर के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड मऊ के एक सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है ।

[फाइल सं० 19/41/सी०/एल० एण्ड सी०/66/2104-सी०/2/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

एस० पी० मेनन, अवर सचिव ।

New Delhi, the 27th July 1971

S.R.O. 292.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Defence Academy (Class I and Class II posts) recruitment rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Defence Academy (Class I and Class II posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 16th May, 1970.

2. In the Schedule to the National Defence Academy (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1968, under the heading 'Essential', for item (ii) in column 8, the following item shall be substituted, namely:—

"(ii) About 2 years teaching/research experience."

[File No. 1(8)/68/D(Appts.)]

V. A. VALIAPARAMPIL, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 जुलाई 1971

का० नि० आ० 292 —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन), नियम, 1971 होगा ।

(2) ये नियम, 16 मई, 1970 से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे ।

2. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में, 'आवश्यक' शीर्षक के अन्तर्गत, स्तम्भ 8 में मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"(ii) लगभग दो वर्ष का शिक्षण/अनुसन्धान का अनुभव ।

[फाइल संख्या 1(8)/68-डी० (नियुक्तियां)]

वी० ए० वलियापरमपिल, अवर सचिव ।

S.R.O. 893.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to **amend the Ministry of Defence, Joint Cipher Bureau Class I and Class II (Gazetted)** and Class II (Non-Gazetted) Non-Ministerial Posts Recruitment Rules, 1969, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Ministry of Defence, Joint Cipher Bureau Class I and Class II (Gazetted) and Class II (Non-Gazetted) Non-Ministerial posts Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Defence, Joint Cipher Bureau Class I and Class II (Gazetted) and Class II (Non-Gazetted) Non-Ministerial posts Recruitment Rules, 1969, after item 15A relating to the post of Instructor (Training) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

SCHE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-BSecurity Officer.	3	Defence Services Civilians Class II Gazetted Non-Ministerial	Rs. 350—25—500—30—590 —EB—30—800 —EB—830—35 —900.	Selection	Not applicable.	Not applicable

DULE

Whether age and educational qualifications prescribed or direct recruits will apply in the case of Promotee	Period of Probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion/deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by Promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	2 years	33-1/3 % promotion; 33-1/3 % by deputation of an Army Officer of the rank of Captain or by re-employment of a retired Army Officer not below the rank of Captain. 33-1/3 % by deputation of a Deputy Superintendent of Police of a District, failing which by re-employment of a retired Army Officer not below the rank of Captain.	*Promotion* i. Technical Superintendent appointed as such on a regular basis; ii. failing (i) above, Programme Assistant with 5 years service in the grade; failing which 5 years total service in the grades of Programme Asstt. and Tech. Asstt. (GD/RD) combined together, rendered after appointment therto on a regular basis; iii. failing (i) & (ii) above, Tech. Asstt. (GD/RD) with 5 years service in the garde rendered after appointment thereto on a regular basis.	Class II Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

NOTE:—1. For purpose of eligibility for promotion the officers concerned, should possess at least a Degree of a recongnised University or equivalent qualification.

2. *Period of deputation* ordinarily not exceeding 3 years.

3. *Age on re-employment* of the retired Army Officer not below the rank of Captain should not exceed 52 years.

4. Officers of the Armed Forces will, on their retirement from the parent service be eligible to continue on re-employment terms till the age of superannuation with reference to Civil posts, in accordance with the existing rules on the subject.

[File No. 63704/VII/CAO/R&R-II.]

D. J. BARAT, Asstt. C.A.O.

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1971

का० नि० आ० 293.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय, संयुक्त साइफर ब्यूरो वर्ग 1 और वर्ग 2 (राजपत्रित) और वर्ग 2 (अराजपत्रित) अननुसचिवीय पद भर्ती नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम रक्षा मंत्रालय, संयुक्त साइफर ब्यूरो वर्ग 1 और वर्ग 2 (राजपत्रित) अननुसचिवीय पद भर्ती (..... संशोधन) नियम, 1971 होगा ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा मंत्रालय, संयुक्त साइफर ब्यूरो वर्ग 1 और वर्ग 2 (राजपत्रित) और वर्ग 2 (अराजपत्रित) अननुसचिवीय पद भर्ती नियम, 1969 की अनुसूची में शिक्षक (प्रशिक्षण) के पद से सम्बन्धित मद 15 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु
1	2	3	4	5	6
15—ख सुरक्षा अधिकारी	3	रक्षा सेवा सिविलियन वर्ग 2, राजपत्रित, अननुसचिवीय	350—25—500—30—590—द० रो०—30—800—द० रो०—830—35—900 रु०	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हतायें	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नतों की दशा में] लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की कालावधि, यदि हो
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
10	11	12	13
33-1/3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; 33-1/3 प्रतिशत कप्तान रैंक के सेवा अफसर की प्रतिनियुक्ति द्वारा या ऐसे सेवानिवृत्त सेना अफसर के पुनर्नियोजन द्वारा, जो कप्तान के रैंक से नीचे का न हो । 33-1/3 प्रतिशत जिला पुलिस उपाधीक्षक की प्रतिनियुक्ति द्वारा ऐसा न हो सकने पर, ऐसे सेवानिवृत्त सेना आफिसर के पुनर्नियोजन द्वारा जो कप्तान के रैंक से नीचे का न हो ।	प्रोन्नति : (i) तकनीकी अधीक्षक जो इस प्रकार नियमित आधार पर नियुक्त किया गया हो; (ii) उपरोक्त (i) के न हो सकने पर प्रोग्राम सहायक जिसकी उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा हो ; ऐसा न हो सकने पर प्रोग्राम साहयक और तकनीकी सहायक (जी डी/आर डी) की श्रेणियों में दोनों को मिलाकर कुल पांच वर्ष की सेवा हो, जो उसमें नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् की गई हो ; (iii) उपरोक्त (i) और (ii) के न हो सकने पर, तकनीकी सहायक (जी डी/आर डी) जिसकी उस श्रेणी मे पांच वर्ष की सेवा हो, जो उसमें नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् की गई हो ।	वर्ग 2 विभागीय प्रोन्नति समिति ।	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित ।

टिप्पण :— 1. प्रोन्नति का पात्र होने के प्रयोजन के लिये सम्बन्धित अफसर के पास कम से कम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य अर्हता होनी चाहिये

2. प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये

3. सेवा निवृत्त सेना अफसर के जो कप्तान के रैंक से नीचे न हो, पुनर्नियोजन पर उसकी आयु बावन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

4. नौसेना बल के अफसर, मूल सेवा से अपनी निवृत्ति पर, सिविल पदों से सम्बन्धित अधिवार्षिता की आयु तक, उस विषय पर विद्यमान नियमों के अनुसार, पुनर्नियोजन के निबन्धनों पर, बने रहने के लिये पात्र होंगे ।

[फाईल सं० 63704/7/—सी०ए०ओ० (आर० एण्ड आर०—2)]

डी० जे० बराट,
सहायक सी० ए० ओ० ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971